



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-386/2022

दिनांक- 20-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

अवैध तमन्चा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार खोखा कारतूस बरामद

आज दिनांक 20.11.2022 को उ०नि० मिथलेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा अभियुक्त बदन पुत्र शिवनाथ सा० हारीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को पाती बुजुर्ग तिराहा से समय करीब 10.30AM बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु

अभियुक्त का नाम व पता

बदन पुत्र शिवनाथ सा० हारीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 257/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी-

1. 01 अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी स्थान

● पाती बुजुर्ग तिराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

पूछताछ विवरण:-

● अभियुक्त द्वारा अपनी गलती की माँफी मांगते हुए अपना बयान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में देना बता रहा है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० मिथलेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2. हे०का० भीम चौधरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3. का० रविन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

4. म०का० रेनु यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस-विज्ञप्ति थाना- तरवा जनपद आजमगढ़ दिनांक 20.11.2022

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) दिनांक 13.07.2020 को जरिये डाक द्वारा प्राप्त शुदा मय एक अदद रिपोर्ट श्रीमान् पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ संदर्भित पत्र सं अ-465/019 दि० 8/1/20 व संलग्नक पत्र सं -सीओबी - विवेचना स्थानान्तरण 72/2019(21478) दिनांक 17.12.2019 आदेश पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र उ०प्र० वाराणसी व पत्र

सं 1233/019 दि0 11.11.19 आदेश ssp वाराणसी महोदय रिपोर्ट व थाना कैन्ट वाराणसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1224/19 धारा 342/366/506 व विवेचना से बढ़ोत्तरी 376 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना कैन्ट वाराणसी के साथ संलग्नक मय प्रपत्र कुल घटना स्थल विवेचना से ग्राम रोशनपुर का पाये जाने के कारण विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। कि आदेश तत्कालिक sho महोदय hm/cm कृपया मुकदमा उपरोक्त को थाना स्थानीय के अपराध क्रमांक पर लाये के आदेश अनुपालन मे मु0अ0सं0 106/2020 धारा 342/366/376/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना कैन्ट से थाना स्थानीय के कायमिंग मु0अ0सं0 106/2020 धारा 342/366/376/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट दि0घ0 22.07.2019 समय 10.00 सूचना 13.07.2020 समय 17.30 बजे घटनास्थल बहद ग्राम रोशनपुर बफासला करीब 7 किमी उत्तर बमुदैयत मो0 सईद अनवर खान पुत्र मो0 आलमगीर खान सा0 रोशनपुर थाना तरवां आजमगढ़ बनाम पारस राजभर पुत्र फौजदार राजभर सा0 कम्हरिया थाना तरवां आजमगढ़ संजय यादव पुत्र अज्ञात के विरुद्ध बतपतीषी sho श्री देवेन्द्र कुमार सिंह के पंजीकृत कर थाना स्थानीय के अपराध क्रमांक पर लाया गया था।

गिरफ्तारी की विवरण-

.. दिनांक 19.11.2022 को मै थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराहियान का0 सुनील पाल , का0 प्रेमप्रकाश कुशवाहा , म0का0 पूजा सिंह मय वाहन सरकारी बोलेरो UP50 AG 0360 मय का0 प्रमोद यादव के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र व भ्रमण करता हुआ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व भ्रमण रात्रिगस्त करता हुआ खरिहानी बाजार मे मामुर था कि मुखबीर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुआ की अभियुक्त संजय यादव पुत्र खुशी यादव परमानपुर चौराहे पर बाजार मे बहरियाबाद गाजीपुर को जाने वाली टेम्पू स्टेन्ड के पास दिखाई दिया है जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर मुखबीर खास को साथ लेकर शीघ्रता करता हुआ बाउम्मीद गिरफ्तारी परमानपुर बाजार मे चौराहे पर पहुचा मुखबीर खास द्वारा बहरियाबाद गाजीपुर को जाने वाले टेम्पू स्टेन्ड के पास सडक के बाये तरफ खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर हटबढ गया मुखबीर खास के बताये गये इसारे वाले व्यक्ति की तरफ हम पुलिस टीम बडे तो वह ब्यक्ति तेज कदमो से आगे की तरफ बढने लगा की उस व्यक्ति को आवाज देकर रोका गया नाम पता पुछा गया तो अपना नाम संजय यादव पुत्र खुशी यादव निवासी ग्राम ताजपुर मांझा थाना जमानिया जनपद गाजीपुर बताया जिसे मु0अ0सं0 106/20 धारा 342/366/506/376 भादवि वाछित अभियुक्त होने का कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस मे लिया गया।

4. **पंजीकृत अभियोग-** 106/2020 धारा 342/366/376/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट

5. **आपराधिक इतिहास-** निल

6. **गिरफ्तार अभियुक्त**

..... 1. संजय यादव पुत्र खुशी यादव निवासी ग्राम ताजपुर मांझा थाना जमानिया जनपद गाजीपुर

7. **बरामदगी-** 1 नील

8. **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह

9. **गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में ईनाम घोषित कराने हेतु पूर्व में रिपोर्ट प्रेषित की गयी है या नहीं। यदि हाँ तो उसका विवरण अंकित करना है-** NIL

10. **गिरफ्तार अभियुक्त किसी गैंग का सदस्य है तो उसका विवरण अंकित करना है-** नहीं

थानाध्यक्ष

थाना तरवां आजमगढ़